

मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ-5-8/2016/58/

भोपाल, दिनांक:- 12/11/2019

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

प्रति,

- | | |
|---|---|
| 1 कलेक्टर,
जिला(समस्त) | 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत (समस्त) |
| 3 संयुक्त संचालक उद्यान,
संभाग (समस्त) | 4 उप/सहायक संचालक उद्यान,
जिला (समस्त) |

विषय :- मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के क्रियान्वयन हेतु आंशिक संशोधन मार्गदर्शी निर्देश।
संदर्भ :- 1. मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-5-8/2016/58 दिनांक 28.07.2016
2. मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-5-8/2016/58 दिनांक 27.07.2018

-:000:-

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं जिसके बिन्दु क्रमांक-5.1 एवं 5.2 में संशोधन एवं क्रमांक-5.4 अतिरिक्त बिन्दु जोड़ते हुये वित्तीय वर्ष 2019-20 से निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है:-

मसाला क्षेत्र विस्तार :-

बिन्दु क्रमांक 5.1 बीज वाली मसाला फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा।

संशोधित बिन्दु क्रमांक 5.1 बीज वाली मसाला फसलों में बीज एवं प्लाटिक क्रेटस की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 10,000/- प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 14,000/- प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा।

बिन्दु क्रमांक 5.2 जड़ एवं कंदवाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा।

// 2 //

संशोधित बिन्दु क्रमांक 5.2 जड़ एवं कंदवाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 70,000/- प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा



(किरण मिश्रा)

उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

भोपाल, दिनांक:- 18/11/19

पृ० क्रमांक/एफ-5-8/2016/58/
प्रतिलिपि :-

- 1 सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 2 निज सचिव, मंत्रीजी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
- 3 स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 4 कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 5 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
- 6 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल।
- 7 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, भोपाल।
- 9 अध्यक्ष, जिला पंचायत (समस्त)
- 10 आयुक्त, (समस्त)
- 11 प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल।
- 12 प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।
- 13 संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्य प्रदेश भोपाल।
- 14 संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
- 15 संचालक, आदिम जाति एवं क्षेत्रीय विकास योजनाएं सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 16 संभागीय संयुक्त संचालक उद्यान, समस्त संभाग



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग